

संचिका सं०-७/सदर एवं अनु०अस्प०-२३-०१/२०२६-२७-२६५(७८)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा प्र से.,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक-२३/०६/२०२६

विषय:- वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में सदर अस्पताल, मोतिहारी में संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों तथा इंटर्नशीप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातको को छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० ३३,००,०००/- (रुपये तैतीस लाख) मात्र व्यय निमित्त आवंटन की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-१०(१) दिनांक-०८.०१.२०२१, संकल्प संख्या-७७६(१) दिनांक-२९.११.२०२३, संकल्प संख्या-४७२(१) दिनांक-०५.०७.२०२३ एवं विभागीय पत्रांक-०३(१) दिनांक-०३.०१.२०२२ के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में सदर अस्पताल, मोतिहारी में संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों तथा इंटर्नशीप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातको को छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० ३३,००,०००/- (रुपये तैतीस लाख) मात्र व्यय निमित्त आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(२) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-२० के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-२२१०-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-०१-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-११०-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-००१३-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल, विपत्र कोड-२०-२२१०-०१-११०-००१३ अंतर्गत छात्रवृत्ति/ वजीफा (३४-०१) मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(३) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर होंगे ।

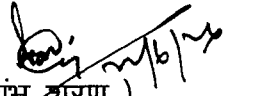
(४) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी सुसंगत प्रपत्रों के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(५) राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) से की जायेगी ।

(६) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-२५६१/वि० (२) दिनांक-१७.४.१९९८ एवं संकल्प सं०-१२८३८/वि० दिनांक-०३.१२.२०२४ के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

- (7) वित्त विभाग द्वारा किये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र **BTC Form 42A** पर तैयार करते हुए नियमानुसार व ससमय महालेखाकार के कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
- (8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संख्या-7/सदर एवं अनु0 अस्प0-23-01/2026-27 के पृ0-09/टि0 पर प्राप्त है ।
- (9) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
- (10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, एतद्संबंधी आवंटनादेश अलग से उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 7/सदर एवं अनु0अस्प0-23-01/2026-27- 865(78) स्वा0, पटना, दिनांक:- 23/06/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) / क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07बी. एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव